<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

14.12.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत **मेसर्स निहारिका वेंचर्स एंड डेवलपर्स** के मामले में 13/12/2024 को रुपये 2.73 करोड़ (लगभग) की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में स्थित पांच आवासीय फ्लैट शामिल हैं, जो ओम प्रकाश द्विवेदी, अभिषेक द्विवेदी, श्रीमती निहारिका द्विवेदी और श्रीमती राधा रानी के नाम पर पंजीकृत हैं।

ईडी ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा विभिन्न पुलिस थानों में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी, 1860 की धाराओं के तहत दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। आरोपियों ने कथित तौर पर अपनी इकाई मेसर्स निहारिका वेंचर्स के माध्यम से सस्ती आवासीय भूमि उपलब्ध कराने के बहाने निर्दोष निवेशकों को धोखा दिया।

ईडी की जांच से पता चला है कि आरोपियों ने प्रयागराज, लखनऊ और नोएडा में सुनिश्चित मासिक रिटर्न और किफायती आवासीय भूखंडों का वादा करके लोगों को लुभाया। हालांकि, एकत्र किए गए धन का दुरुपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया और निवेशकों से किए गए वादों को तोड़ते हुए अचल संपत्तियां हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया। आरोपी संस्थाओं ने निवेशकों को समझौते और चेक जारी किए, जो रिफंड या भूमि पंजीकरण की मांग करने पर बाउंस हो गए।

ईडी की जांच में फंड ट्रेल का पता चला, जिसमें दिखाया गया कि ग्राहकों से एकत्र किए गए पैसे को स्तरित किया गया, स्थानांतरित किया गया और अपने स्वयं के नाम पर पंजीकृत फ्लैटों के रूप में अचल संपत्तियां खरीदने के लिए विपथित किया गया। नतीजतन, धोखाधड़ी करने वाले निवेशकों को उनके निवेश या आवंटित भूमि/भूखंडों पर वादा किए गए रिटर्न के बिना छोड़ दिया गया। ईडी ने अब इन फ्लैटों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है, जिनकी सामूहिक कीमत 2.73 करोड़ रुपये है ।

आगे की जांच जारी है।